पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank ...the name you can BANK upon !

प्र.का. प्लॉट स.4, सेक्टर.10, द्वारका,
नई दिल्ली–110075

Head Office : Plot No.4, Sector 10, Dwarka,
New Delhi–110 075

वार्षिक आम बैठक
ANNUAL GENERAL MEETING

दिनांक : मंगलवार, 18 सितम्बर 2018, प्रातः 10:00 बजे

DATE: TUESDAY, THE 18TH SEPTEMBER, 2018
AT 10.00 A.M.

स्थान :
पंजाब नैशनल बैंक
मल्टीपर्पज हाल, प्रधान कार्यालय
प्लॉट स.4, सेक्टर.10, द्वारका,
नई दिल्ली–110075

Venue :
PUNJAB NATIONAL BANK
MULTIPURPOSE HALL, HEAD OFFICE
PLOT NO.4, SECTOR 10, DWARKA,
NEW DELHI–110 075

विषय वस्तु
CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.

सूचना
NOTICE 1-3

व्याख्यात्मक कथन
EXPLANATORY STATEMENT 4-14

घोषणा पत्र
DECLARATION FORM 15-16

नामांकन पत्र
NOMINATION FORM 17

व्यक्तिगत जानकारी
PERSONAL INFORMATION 18-20

प्रॉक्सी फार्म
PROXY FORM 21-22

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास
ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS 23

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियाँ
IMPORTANT CALENDER OR EVENTS

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के भाग लेने/वोटिंग की पात्रता का पता लगाने के लिए कटऑफ तिथि Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders for attending the AGM	मंगलवार, 11 सितंबर, 2018 Tuesday, 11th September, 2018
ई–वोटिंग की अवधि Period of e-voting	15/09/2018 से 17/09/2018 15/09/2018 to 17/09/2018
प्रॉक्सी फार्मो व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति का संकल्प जमा करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	वीरवार, 13 सितंबर, 2018 Thursday 13th September, 2018

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : वित्त प्रभाग, शेयर विभाग : प्लॉट स.4, सेक्ट.10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 (ई–मेल:hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10.00 बजे मल्टीपर्पज हाल, प्र.का. प्लॉट न0.4, सेक्ट,10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्न कार्य किये जायेंगे :–

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ–हानि लेखा तथा 31 मार्च, 2018 की लेखा अवधि के लिए बैंक की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, स्वीकार करना एवं अपनाना।

संकल्प :

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :–

संकल्प पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ–हानि लेखा तथा 31 मार्च, 2018 की लेखा अवधि के लिए बैंक की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, स्वीकार करना एवं अपनाना।

2. बैंक में एक शेयरहोल्डर निदेशक का चुनाव

निम्नलिखित संकल्प पारित करके बैंक के शेयरधारकों में से केन्द्र सरकार को छोड़कर ऐसे **एक** निदेशक को चुनना जिनके संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (जिसे इसके बाद **'बी आर अधिनियम'** कहा गया है) के साथ पठित बैंकिंग कम्पंनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **अधिनियम** कहा गया है) की धारा 9(3)(प) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हों, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके बाद **'योजना'** कहा गया है) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2000 (जिसे इसके बाद **'' पीएनबी विनियमन''** कहा गया है) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की 01.11.2007 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसीसं. 46 व 47/29.39.001/2007–08 एवं 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010–11 (जिसे इसके बाद **''भा.रि.बैंक अधिसूचना''** कहा गया है) तथा भारत सरकार के वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार हो।

संकल्पः

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :–

संकल्प पारित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरहोल्डरों के मध्य चयनित कोई एक् निदेशक प्रासंगिक योजना सहित पठित अधिनियम के खंड 9(3) के अनुसार तथा आरबीआई अधिसूचना के अंतर्गत बनाए गए विनियमन एवं एतदद्वारा परिणामों की घोषणा के बाद के दिन से ही बैंक का कार्यभार संभालेंगे तथा पदधारण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि पूर्ण होने तक कार्यालय में बने रहेंगे"।

3. कर्मचारियों को ईएसपीएस आधारित इक्विटी शेयर जारी करना

शेयरधारकों को जारी तथा रु.10,00,00,000(दस करोड) के नए इक्विटी शेयर जिनका अंकित मूल्य 2/– (रु.दो मात्र)प्रत्येक, और सभी उद्देश्य के लिए, सभी प्रकार से लाभांश का भुगतान् सहित जिसमें एक मूल्य पर तथा इस तरह की शर्तों व स्थितियों पर एक या उससे अधिक ट्राचेज में कर्मचारी स्टाक खरीद योजना (पीएनबी–ईएसपीएस)पर बोर्ड व समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

संकल्पः

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण), राष्ट्रीयकृत बैंक योजना 1970 (प्रबंधन

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

Head Office : Finance Division, Share Department, Plot No.4, Sector 10, Dwarka,
New Delhi – 110 075 (Email – hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to regulations 56 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, 17th Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on **Tuesday, the 18th September, 2018, at 10.00 A.M.** at Multipurpose Hall, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 to transact the following business:

1. To consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Financial Statements.

RESOLUTION: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution:
"RESOLVED THAT the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts are hereby adopted, approved and passed."

2. Election of one Shareholder Director of the Bank

To elect **ONE** Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (hereinafter referred to as "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as **"B R Act")**, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as **"Scheme")** and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as **"PNB Regulations"**) and Notification Nos. DBOD. No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No. DBOD.NO. BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as **"the RBI Notification"**) and the extant Government of India (GOI) Guidelines.

RESOLUTION:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution:

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government, pursuant to Section 9(3) (i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made there under and RBI Notification, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the day after the declaration of result of election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

3. Issue of Equity Shares to Employees on ESPS basis (Employee Stock Purchase Scheme)

To seek approval of shareholders to offer, issue and allot up to 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares of face value of Rs.2/- (Rupees Two only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PNB-ESPS ") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee.

RESOLUTION:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 ("The Regulations"), as amended from

और विविध प्रावधान), पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2000, समय–समय पर संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, का यदि कोई अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति हो और जहाँ भी लागू हो और/या इस संबंध में किसी अन्य प्राधिकरण की आवश्यकता हो तथा उक्त के अतिरिक्त ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तों और संशोधनों के अधीन और जिनपर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो सकती है एवं सेबी विनियम 2014 के प्रावधानों, अद्यतन करते हुए संशोधित, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों यदि कोई हो तो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और भारतीय विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 तथा समय–समय पर लागू अन्य सभी नियमों के अधीन और सेबी के प्रावधानों, अद्यतन करते हुए संशोधित, के अधीन स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. के साथ बैंक ने एकरूप सूचीकरण समझौता किया है। किसी भी प्राधिकरण के किसी भी स्तर पर प्रयोज्य अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति को मंजूरी देने के दौरान इन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित या लागू किए गए किसी भी शर्त और परिवर्तन के अधीन और जिसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी गई और स्वीकार किया गया हो, बैंक के शेयरधारकों की सहमति तथा एतद्द्वारा बैंक के बोर्ड निदेशक (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'बोर्ड' कहा गया है, जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) को सहमति प्रदान की जाती है कि एक या अधिक ट्रेंच जैसा कि बोर्ड/समिति द्वारा तय किया जा सकता है, बैंक के वे कर्मचारी {सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) 2014 के विनियम 2(1) एफ के अंतर्गत परिभाषित} नए इक्विटी शेयर के रु. 2/– के प्रति अंकित मूल्य, कुल 10,00,00,000 (दस करोड़) को सृजित, ऑफर, जारी तथा आबंटित करेंगे जो इन शर्तों के अधीन होगा कि बैंक के इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता किसी भी कीमत पर 52% से कम न हो।"

"यह संकल्प भी लिया जाता है कि बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियमन 15 अथवा इसके किसी वैधानिक परिवर्तन(नों), संशोधन(नों) या पुनरधिनियमन में निर्दिष्ट लेखा नीतियों को सुनिश्चित करेगा।"

"यह संकल्प भी लिया जाता है कि बोर्ड 'पीएनबी–ईएसपीएस' के तहत जारी तथा आवंटित किए गए इक्विटी शेयरों की स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समरूप सूचीबद्धता समझौतों के नियमों व शर्तों एवं अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुसार उन स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत होगा जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं और इसे एतद्द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाता है।"

"यह संकल्प भी लिया जाता है कि बोर्ड इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय माने जाने वाले सभी कृत्यों, कर्मों, मामलों एवं बातों को करने और इस विषय में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, दुविधा या संदेह का समाधान करने तथा साथ ही सभी अन्य आवश्यक, वांछनीय एवं समीचीन कृत्य, कर्म, मामलों एवं बातों को करने और अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय माने जाने वाले सभी दस्तावेजों व लेखों को अंतिम रूप देने और इन्हें निष्पादित करने के लिए अधिकृत होगा और इसे एतद्द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाता है, जिसके लिए उसे आगे शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन अथवा अन्यथा की आवश्यकता नहीं होगी और इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा उसे इस उद्देश्य व आशय से अधिकृत किया गया तथा इसे शेयरधारकों द्वारा स्पष्टतया अनुमोदित किया गया माना जाएगा।"

"यह संकल्प भी लिया जाता है कि बोर्ड स्वयं द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले नियमों व शर्तों पर 'पीएनबी–ईएसपीएस' को क्रियान्वित करने, निरुपित करने, विकसित करने, इस पर निर्णय लेने एवं इसे प्रभावी बनाने तथा 'पीएनबी–ईएसपीएस' के नियमों व शर्तों में समय–समय पर मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड से संबंधित अथवा कोई भी अन्य संशोधन, परिवर्तन, विचलन अथवा पुनरीक्षण करने या बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण स्वविवेक से निर्धारित विधि से 'पीएनबी–ईएसपीएस' को स्थगित करने, वापस लेने, समाप्त करने अथवा संशोधित करने तथा 'पीएनबी–ईएसपीएस' के कार्यान्वयन और प्रस्तावित 'पीएनबी–ईएसपीएस' के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयरों के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रश्नों, दुविधाओं या संदेहों का समाधान करने के लिए अधिकृत होगा और इसे एतद्द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाता है, जिसके लिए उसे आगे शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन अथवा अन्यथा की आवश्यकता नहीं होगी और इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा उसे इस उद्देश्य व आशय से अधिकृत किया गया तथा इसे शेयरधारकों द्वारा स्पष्टतया अनुमोदित किया गया माना जाएगा।"

"यह संकल्प भी लिया जाता है कि बोर्ड सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावित करने के लिए एतद्द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को निदेशक मंडल की समिति(यों), प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा मुख्य वित्त अधिकारी या स्वयं द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले बैंक के किसी भी अन्य अधिकारी(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत होगा और इसे एतद्द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाता है।"

time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), Stock Exchange (s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 {SEBI (LODR)} as amended up to date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014}, of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board/Committee, aggregating up to 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares of face value of Rs.2/- (Rupees Two only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PNB-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/ Committee in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 52.00%."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "PNB-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "PNB-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "PNB-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "PNB-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "PNB-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "PNB-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or Chief Finance Officer or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

4. भारत सरकार को अधिमानित आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना

सेबी आईसीडीआर विनियम सं0 76(1) के अनुसरण में 'प्रासंगिक तिथि' पर 2/– प्रति शेयर की अंकित मूल्य पर रु. 2816/– (दो हजार आठ सौ सोलह करोड़) तक भारत सरकार से अधिमानित आधार पर अनुमोदन के लिए शेयरधारको को जारी व् इक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है

संकल्प

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :–

'संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **'योजना'** कहा जायेगा) **और** पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 जिसे इसके बाद **'विनियमन'** कहा जाएगा, के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **'अधिनियम'** कहा जायेगा) प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक **(आरबीआई)**, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (**सेबी)**और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (**सेबी आईसीडीआर विनियमन**), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबध्द प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **'निदेशक मंडल'** कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है कि **निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रु. 87.97 प्रति शेयर नकदी प्रीमियम पर सेबी आईसीडीआर विनियम सं0 76(1) के अनुसरण में अंकित मूल्य प्रत्येक रु. 2/– के 31,29,93,219 इक्विटी शेयर के कुल रु.2816/– करोड़ (रुपये दो हजार आठ सौ सोलह करोड़ मात्र) तक के शेयर भारत सरकार को अधिमान आधार पर सृजित ,ऑफर, जारी एवं आबंटन करने हेतु।**

''यह भी संकल्प किया जाता है "ऊपर उल्लिखित इक्विटी शेयरों के जारीकरण के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु सेबी (आईसीडीआर विनियम) समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार, अधिमान्य जारीकरण के लिए प्रासंगिक तिथि, असाधारण आम बैठक की तिथि से 30 दिन पहले की तिथि 17.08.2018 होगी। (18.08.2018 व 19.08.2018 को वीकेंड या छुट्टी होने के कारण)

''यह भी संकल्प, किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/ जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वींकार करें।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले एवं आबंटित किए जाने वाले उक्तो इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जायंगे एवं ''सेबी आईसीडीआर विनियमन'' के अध्याय के अंतर्गत अवरुद्धता अवधि की अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्ति सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ (लाभांश सहित यदि घोषित हो), सभी दृष्टियों से समान माने जायेंगे।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं और मामले पर विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेज़ों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की ज़रूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।'

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्द्वारा यह प्राधिकारी दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपयुक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।''

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

(पी.के.शर्मा)
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.08.2018

4. Issue of Equity Shares on preferential basis to Govt. of India

To seek approval of shareholders for issuance and allotment of such number of equity shares of face value of Rs.2/- each to Government of India on preferential basis at a price to be determined as on the 'Relevant Date', in terms of Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations up to Rs.2816 crore (Rupees Two Thousand Eight Hundred Sixteen crore only)."

RESOLUTION:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the '**Act'**) read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the '**Scheme**') and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the ` **PNB Regulations'**) and subject to the approval(s), consent(s), sanction(s), if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(SEBI ICDR Regulations), SEBI (LODR) Regulations** and regulations prescribed by RBI and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the **"Board"** which shall deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) **to create, offer, issue and allot 31,29,93,219 Equity Shares of face value of Rs.2/- each fully paid at a premium of Rs.87.97 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, up to an amount of Rs.2816 crore (Rupees Two Thousand Eight Hundred Sixteen Crore only) to GOI on preferential basis.**

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of minimum price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be **17.08.2018,** the date 30 days prior to the date of Annual General Meeting (18.08.2018 and 19.08.2018 being weekend/holiday).

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other competent authority at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements as required under Chapter VII of the "SEBI ICDR Regulations" and shall rank pari passu in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration issued by SEBI in this regard."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Directors or Chief Finance Officer or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

(P K Sharma)
Chief Finance Officer

Place: New Delhi
Date: 17.08.2018

व्याख्यात्मक कथन

मद स.2,3 तथा 4 में वर्णित बैठक के व्याख्यात्मक विवरण को कारोबार के सम्बन्ध में भौतिक तथ्यों को स्थापित करने के लिए:

1. शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन

शेयरधारकों को निदेशक के चुनाव का अधिकार

निदेशकों का निर्वाचन करने के लिए शेयरधारकों का अधिकार भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक के पूंजी के 37.75% धारक हैं। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम तीन निदेशक रखने का पात्र है। वर्तमान में बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक का पद खाली है।

तदनुसार, रिक्तियों को बैंक की दिनांक 18.09.2018 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशक का पद भरा जाएगा। अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) अपना नामंकन भेजने के पात्र हैं अथवा सम्बद्ध अधिनियम, बी आर अधिनियम, योजना, पीएनबी विनियमन, अधिसूचना जिनके संबद्ध अंश इसमें दिये गये हैं, की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं। चुने गये निदेशक पदभार ग्रहण करेंगें और पदभार ग्रहण करने की तिथि या परिणामों की घोषणा की तिथि से जो भी बाद में हो तीन वर्ष की अवधि तक के लिए बने रहेंगें।

कानूनी प्रावधान

इस मामले से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/योजनाओं/पीएनबी विनियमों/अधिसूचना में दिए प्रावधान निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं :

अधिनियम/योजनाओं/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त ब्यौरा / जिस्ट
बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16(1) धारा 20	• पर्याप्त रुचि • सामान्य निदेशकों का निषेध • अपने निदेशकों या उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम देने के लिए कुछ प्रतिबन्ध
बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई), धारा 9(3)(i), धारा 9(3ए)(ए) से(सी), धारा9(3एए), धारा9(3एबी),धारा9(3बी), धारा13(2)	• धारा 3 (2ई) में केन्द्र सरकार से भिन्न किसी शेयरधारकों के मतदान अधिकार को सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। • धारा 9(3)(i) में शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले अधिकतम निदेशकों को बताया गया है। • धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) में कुछ योग्यताएं/शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनमें विनिर्दिष्ट है कि धारा 9(3)(i) के तहत नामित किए जाने वाले निदेशकों को कुछेक क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। • धारा9(3एए) और (3एबी) में है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उसके विगत रिकार्ड, निष्ठा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना संख्याः डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007–08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 तथा डीबीओडी.नं. बीसी.न.95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23 मई, 2011 के जरिए अधिसूचित किए गए मानदंडों के आधार पर सक्षम और उपयुक्त स्तर का न हो। •धारा9 (3बी) में भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का अधिकार दिया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो। धारा 13 (2) में तीसरी अनुसूची में दिए गए निष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा के अनुरूप होना चाहिए।

EXPLANATORY STATEMENT

The explanatory statements setting out the material facts in respect of business of the meeting at item no. 2, 3 and 4 are mentioned below.

1. Election of Shareholder Director

RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTOR

Shareholders other than GOI hold 37.75 % of the share capital of the Bank. As per Section 9(3) (i) of the Act, Bank shall have three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). At present there is one vacancy of Shareholder Director on the Board.

Accordingly, the vacancy shall be filled in the Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Bank on 18.09.2018.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations, if eligible, as per the procedure detailed in relevant Act, B R Act, Scheme, PNB Regulations, Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. The elected director will assume office from the day after the declaration of results and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme / PNB Regulations / Notification governing the matter.

ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATION	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS/ GIST
Banking Regulations Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	• Substantial Interest. • Prohibition of Common Directors. • Certain restrictions for granting any loan or advance to or on behalf of any of its directors.
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E), Section 9 (3) (i), Section 9 (3A) (A) to (C), Section 9(3AA), Section 9(3AB), Section 9(3B), Section 13(2)	• Section 3 (2E) restricts the voting right of a shareholder other than the Central Government to Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders. • Section 9(3) (i) prescribes the maximum number of directors to be elected by the shareholders. • Section 9 (3A) (A) to (C) prescribes qualifications and special knowledge in certain fields for the directors to be nominated under Section 9 (3) (i). • Section 9 (3AA) and (3AB) prescribes that no person shall be eligible to be elected as director unless he/she is a person having “Fit and Proper” status based upon track record, integrity and such other criteria as per Reserve Bank of India Notification Nos.DBOD.No.BC. No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with DBOD. No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011. • Section 9(3B) deals with the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9(3) (i) of the aforesaid Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) and Section 9(3AA) of the said Act. • Section 13 (2) deals with the obligation as to declaration of Fidelity and Secrecy in the form set out in the Third Schedule.

राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4), खंड10, खंड11, खंड11ए, खंड11बी, खंड 12(8)	•खंड 9(4) में कहा गया है कि कोई भी निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा परन्तु ऐसा कोई निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा। •खंड 10 में निदेशकों के लिए कुछेक अयोग्यताएं विनिर्दिष्ट है। •खंड 11 निदेशकों द्वारा पद रिक्त किए जाने से संबंधित है। •खंड 11ए ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित निदेशक को हटाया जा सकता है और उसके स्थान पर रिक्त पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुना जा सकता है। •खंड 11बी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है। •खंड 12(8) निदेशकों द्वारा कतिपय जिनमें उनका हित है, के संबंध में हितों के प्रकटीकरण से संबंधित है।
पंजाब नैशनल बैंक(शेयर एवं बैठकें) विनियमन,2000	विनियम 10, विनियम 61ए से 70	•विनियम 10 में शेयरों की संयुक्तधारिता के मामले में मतदान अधिकार निश्चित किए गए हैं । •विनियम 61ए से 70 निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु प्रत्याशी के रूप में किसी व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछेक शर्तें और चुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया तथा अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित हैं
भारतीय रिजर्व बैंक की की अधिसूचना संख्या दिनांक 1.11. 2007 डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007–08 एवं 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या0 डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010–11 और जेबीआर.एपीपी टी39/29.39. 001/2016–17 तथा आगे आने वाली सूचनायें	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुक्रम में – राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए सक्षम और उपयुक्त मानदंड	•राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए सक्षम और उपयुक्त मानदंड
सेबी दिशानिर्देश– परिपत्र संख्या : सीआईआर/सीएफडी /पॉलिसी सेल/ 2/ 2014 दिनांक 17.04.2014	इलैक्ट्रानिक वोटिंग	परिपत्र स0. CIR/CFD/POLICY–CELL/2/2014 दिनांक – 17–04–2014. में उल्लेख है कि कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 और तत्पश्चात संशोधित शर्तों में शेयरधारकों की साधारण बैठक में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
कंपनी(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 यथासंशोधित कंपनी(प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम,2015	खंड 20 इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग	खंड 20 इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग की प्रकिया का विश्लेषण करता है । खण्ड 20(ii) की शर्तों के अनुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोट की पात्रता निश्चित करने की कट ऑफ तिथि या सामान्य बैठक की तिथि सामान्य बैठक से 7 दिन पूर्व से कम की तिथि नहीं होगी।
भारत सरकार पत्र सं. एपसं.16–15–2012– बीओआई 28.04. 2015 और दिनांक–20.07.2016 को दिनांक–03.09.2013 के ओएक के साथ पठित अंशकालिक गैर–अधिकारिक निदेशक के चयन हेतु केबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित भारत सरकार की संशोधित दिशानिर्देश दिनांक–25.03.2015 ओर इसमें आगामी संशोधनों के अनुसार, यदि कोई हो।		बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9(3) (i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक के रुप में निर्वाचित उम्मीदवारों के फिट व प्रोपर स्टेट्स को निर्धारित करते हुए बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना है।

The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4), Clause 10, Clause 11, Clause 11A, Clause 11B, Clause 12(8)	• Clause 9(4) provides that an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office for a period exceeding six years. • Clause 10 specifies certain disqualifications for directors. • Clause 11 deals with vacation of office by directors. • Clause 11 A deals with the situation where a director elected under Sec. 9(3) (i) of the Act may be removed and another person in his stead be elected to fill the vacancy. • Clause 11B deals with casual vacancy. • Clause 12(8) deals with disclosure of interest by directors, in certain arrangements in which they are interested.
Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000	Regulation 10, Regulations 61A to 70	• Regulation 10 determines the voting rights in the case of joint holding of shares. • PNB Regulations 61A to 70 prescribes certain conditions for nominating a person as a candidate for election as a Director, the procedure for conducting an election and deals with other incidental matters.
Reserve Bank of India Notification No. DBOD.No.BC. No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. APPT BC No 39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 and subsequent notifications	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 Fit and Proper criteria for elected Directors on the Boards of the nationalized banks.	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks.
SEBI guidelines – circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/2/2014 dated 17.04.2014	Electronic voting	Circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/2/2014 dated 17.04.2014 mandates that e-voting should be facilitated in General Meetings of shareholders in terms of The Companies (Management and Administration) Rules 2014, and subsequent amendments.
The Companies (Management & Administration) Rules 2014 As amended by The Companies (Management & Administration) Amendment Rules 2015	Rule 20 – Voting through electronic means	The procedure for voting through electronic means. In terms of Rule 20 (ii), cut-off date for determining eligibility to vote by electronic means or in the General Meeting shall be a date not earlier than 7 days before the General Meeting.
Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non officials director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No. 16/15/2012-B.O.I. dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

PROVISIONS OF ACTS/SCHEME/REGULATION/NOTIFICATION IN WEBSITE

For the convenience of the shareholders, the relevant B R Act, the Act, the PNB Regulations, the Scheme as well as RBI Notifications are hosted on the Bank's website www.pnbindia.in – (Investor Info page), which are downloadable.

वेबसाइट में अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना के प्रावधान

- शेयरधारकों की सुविधा के लिए सम्बद्ध बी आर अधिनियम, अधिनियम, पीएनबी विनियमन, योजना तथा भा.रि.बैंक की अधिसूचना बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.co.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

उम्मीदवार के लिये योग्यतायें

- उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9(3ए) में यथानिर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा तथा योजना की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अनर्हता वाला न हो तो विनियमन के विनियम 65 में उलिखित शर्तों को पूरा करेगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

i) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसरण में उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है एवं अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अधीन बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है, के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए।

(क) उसे निम्नलिखित मामलों में एक या अधिक का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(ii) बैंकिंग

(iii) सहकारिता

(iv) अर्थशास्त्र

(v) वित्त

(vi) विधि

(vii)लघु उद्योग

(viii)किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार जो बैंक के लिए उपयोगी हो।

(ख) वह जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो अथवा

(ग) वह किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

II उक्त अधिनियम की धारा 9(3एए) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक पद के लिए नामांकन पद करने वाले प्रत्याशी को 'सक्षम एवं उपयुक्त' हैसियत वाला होना चाहिए।

III. इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होगी।

बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए अनर्हतायें

अ. राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसरण में कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अयोग्य होगा :–

(क)यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो, या उसने ऋण अदा न किया हो या लेनदारों के साथ समझौता किया हो, अथवा

(ख)यदि वह विकृत मन का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

(ग)यदि वह किसी दंड नयायालय दवारा ऐसे किसी अपराण के लिए सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता निहित हो, अथवा

घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्ध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक(अनुषंगी बैंक) यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो और

(आ)भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2007–08 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.नं.बीसी. नं.95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23.05.2011 तथा दि:24.11.2016 के डीबीओडी.नं.बीसी.नं.39/29.39.001/2016–17 तथा भारत सरकार के वर्तमान दिशा–निर्देश दिनांक 25.03.2015 के स0.एफ.न0.16/51/2012–बीओआई के अधीन जिसे भारत सरकार के पत्र दि:28.04.2015 और दि:20.07.2016 को ओएम दि:03.09.2013 के साथ पढा जाए, के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा यदि वह 'सक्षम एवं उपयुक्त हैसियत' वाला न हो।

अंशकालिक गैर– आधिकारिक निदेशकों (एनओडी) के चयन हेतु दिशानिर्देशों का सार :

- यदि निदेशक बैंक/एफआई के किसी भी श्रेणी के तहत पहले ही शामिल हैं, तो उस पर किसी भी अन्य बैंक/एफआई के गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में मनोनीत करने के लिए विचार नहीं जा सकता।
- किसी भी व्यक्ति को बैंक/एफआई के बोर्ड में गैर अधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से मनोनीत नहीं किया जा सकता जिसने किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकालों या छः वर्षों जो भी अधिक हो के लिए पूर्व में निदेशक के रूप में सेवाएं दी हों।
- बैंक/वित्तीय संस्थान के निदेशक के रूप में मनोनीत के एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले ही छः वर्षों के लिए, चाहे नियमित या बीच बीच में किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के बोर्ड में गैर अधिकारिक निदेशक/शेयरधारक निदेशक हैं।
- निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अंशकालिक एनओडी के चयन के लिए सरकार के दिशानिर्देश शेयरधाक निदेशकों के चुनाव हेतु भी लागू होंगे।
- पूर्ण विवरण भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2010–11 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी. नं.बीसी.नं.95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23.05.2011 तथा दि:24.09.2016 के डीबीओडी.नं.बीसी.नं.39/29.39.001/2016–17 तथा भारत

QUALIFICATION FOR A CANDIDATE

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the PNB Regulations, which are detailed herein.

I. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as a Director of the Bank under Section 9 (3)(i) of the Act shall:

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely :-

(i) agriculture and rural economy,

(ii) banking,

(iii) co-operation,

(iv) economics,

(v) finance,

(vi) law,

(vii) small scale industry.

(viii) any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represent the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

II. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notifications a candidate being a shareholder of the Bank and who files nomination to be a Director of the Bank should possess 'Fit & Proper status'.

III. Further, the elected directors should execute the Deed of Covenants and are required to furnish annual declarations, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:-

a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under clause (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and.

(B) If he/she is not found to be 'fit and proper' person, by the Nominations Committee of the Directors of the Bank In terms of RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 & 47/ 29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with No. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/ 2016-17 dated 24th November 2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-B.O.I. dated 25.03.2015 forwarded by GOI letter dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

Gist of Guidelines for selection of part time Non-Official Director (NOD)

- A Director already on the Board of a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.
- No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years, whichever is longer.
- An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD/ shareholder-Director on the Board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently.
- The age of the Director should not be more than 67 years.
- Government guidelines for selection of part time NODs shall be applicable for election of Shareholder Directors also.
- Full details are as per RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 & 47/ 29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with No. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/ 2016-17 dated 24th November

सरकार के वर्तमान दिशा–निर्देश दिनांक 25.03.2015 के स0.एफ.न0.16/51/2012–बीओआई के अधीन जिसे भारत सरकार के पत्र दि:28.04.2015 और दि:20.07.2016 को ओएम दि:03.09.2013 के साथ पढा जाए, में दिया गया है।

प्रत्याशियों को शेयरधारकों की सूची

14.08.2018 को (कट–ऑफ तिथि1) बैंक के शेयरधारकों की सूची, को ''पंजाब नैशनल बैंक,'' नई दिल्ली/दिल्ली के पक्ष में, देय अधिसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के जरिए रू. 50,000/–(रुपये पचास हज़ार केवल) का भुगतान करने पर बिक्री के लिए दिनांक 20.08.2018 से कंपनी सचिव, शेयर विभाग,वित्त प्रभाग प्रधान कार्यालय प्लॉट न0.4, सेक्टर,10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 से उपलब्ध होंगी । इच्छुक प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं और उससे उध्दरण निकाल सकते हैं।

शेयर धारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में **कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग,** प्लॉट न0.4, सेक्ट,10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 में दिनांक 20.08.2018 से 03.09.2018 तक सभी कार्यदिवसों में दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुला रहेगा जिससे प्रत्याशी शेयरधारक रजिस्टर के किसी भाग के उध्दरण ले सके या सम्बन्धित भाग को कम्प्यूटर प्रिंट लेने का बैंक से अनुरोध कर सके जिसके लिए उन्हें 5/– रूपये प्रति हजार शब्द या उसके अंश की दर से उसका पूर्व भुगतान करना होगा।

निर्वाचन में भागीदारी

14.08.2018 को (कट–ऑफ तिथि1)एनएडीएल/सीडीएसएल/एसटीए द्वारा तैयार लाभग्राहियों/ शेयरधारकों के रजिस्टर में जिन शेयरधारकों के नाम हैं वे निर्वाचन में भाग लेने के हकदार हैं अर्थात् केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों के बीच में से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन करने, चुनाव के हकदार हैं।

नामांकन :

नामांकन की वैधता

पीएनबी विनियमन के विनियम 65 और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2010–11 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23.05.2011 तथा दि:24.09.2016 के डीबीओडी.नं.बीसी. नं.39/29.39.001/2016–17 तथा भारत सरकार के वर्तमान दिशा–निर्देश दिनांक 25.03.2015 के स0.एफ.न0.16/51/2012–बीओआई के अधीन जिसे भारत सरकार के पत्र दि:28.04.2015 और दि:20.07.2016 को ओएम दि:03.09.2013 के साथ पढा जाए, में दिया गया है। विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा किंतु उपबंध यह है कि:

क) दिनांक 14.08.2018 (कट ऑफ तिथि 1) को पंजाब नैशनल बैंक में कम से कम 100 शेयर (एक सौ शेयर) धारित / शेयरधारक हो तथा दिनांक 18.09.2018 तक कम से कम 100 शेयर धारित करता रहे और उसके बाद भी अगर वह निर्वाचित होता है/होती है।

ख) वह बीआर एक्ट, एक्ट, योजना, पीएनबी विनियमन अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अधीन निदेशक नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख़ यथा 03.09.2018 को निदेशक होने के अयोग्य घोषित न किया गया हो।

ग) नामांकन लिखित रूप से हो और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटार्नी के हस्ताक्षर हों परंतु यह कि यदि शेयरधारक कोई, निगमित निकाय हो तो उक्त निगमित निकाय के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाता है, वहां जिस बैठक में यह पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्यप्रति बैंक के कम्पनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्लॉट स.4, सेक्ट,10, द्वारका, नई दिल्ली –110075 के नाम प्रेषित की जाएगी और उक्त प्रति को ऐसी कम्पनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किसी न्यायाधीश, जिलाधीश,आश्वासन रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा पत्र नामांकन के साथ संलग्न किया गया है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा वह बी आर एक्ट या इस अधिनियम या इस योजना या पीएनबी विनियमों या आरबीआई अधिसूचना या भारत सरकार के दिशानिर्देश के अधीन निदेशक होने के अयोग्य नहीं है।

ड) इस नोटिस के साथ नामांकन फार्म और विनियमन द्वारा यथानिर्धारित घोषणा फार्म और प्रोफार्मा संलग्न है । इन प्रपत्रों सहित संपूर्ण नोटिस बैंक की वैबसाइट :www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) पर भी उपलब्ध है।

नामांकन फार्मों का प्रस्तुत किया जाना:

ये सभी इस नोटिस के साथ भेजे गये प्रारूपों में 'मोहरबंद लिफाफे में' **कंपनी सचिव, शेयर विभाग,वित्त प्रभाग,प्रधान कार्यालय, प्लॉट स.4, सेक्ट,10, द्वारका, नई दिल्ली–110075** को सभी दृष्टियों से पूर्ण सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को अर्थात् दिनांक 03.09.2018 को सांय 5.00 बजे बैंक कार्य समय समाप्त होने से पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-B.O.I. dated 25.03.2015 forwarded by GOI letter dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

A list of shareholders of the Bank as on 14.08.2018 (Cut-off Date1) will be available for sale on and from 20.08.2018 on pre-payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by a demand draft/pay order of a Scheduled Bank in favour of "Punjab National Bank" payable at New Delhi/Delhi along with a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank, Finance Division, Share Department, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075. The intending candidates may also inspect the Register of shareholders and take extracts there from.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of shareholders will be open for inspection by the shareholders, with the Company **Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi 110075,** on all working days commencing from **20.08.2018** till **03.09.2018** between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. for the purpose of enabling the candidates to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of Rs. 5/- for every thousand words or part thereof.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/Share Transfer Agent (STA) as on 14.08.2018 (Cut-off Date1) shall be entitled to nominate and contest the election of Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the PNB Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India – DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2010-11 dated 01.11.2007 and DBOD No. BC No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with No. DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/ 2016-17 dated 24th November 2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-B.O.I. dated 25.03.2015 forwarded by GOI letter dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013. and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a director will be valid provided:

A) He/she is a shareholder holding as on 14.08.2018 (Cut-off Date1), not less than 100 (one hundred) shares in Punjab National Bank and continues to hold not less than 100 shares till 18.09.2018 and thereafter if he/she is elected.

B) As on 03.09.2018 being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a director under the B R Act, the Act, the Scheme, the PNB Regulations or RBI Notifications, guidelines and notifications issued by Government of India.

C) The nomination is in writing signed by at least 100 shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Corporate Body may be made by a resolution of the Directors of the said Corporate Body and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the **Company Secretary, Punjab National Bank, Head Office, Finance Division, Share Department, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

D) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election and that he/she is not disqualified from being a director, either under the B R Act or the Act or Scheme or the PNB Regulations or RBI Notification or GOI guidelines.

E) The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the PNB Regulations and as per the Proforma annexed to this notice. The entire notice inter alia comprising these Proforma is also available on the Bank's Website: www.pnbindia.in. (Investor Info Page)

Submission of nomination forms

Shareholders desirous of contesting the election of Director should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a SEALED ENVELOPE to the **Company Secretary, Punjab National Bank, Head Office, Finance Division, Share Department, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075** together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on 03.09.2018.

क. विधिवत् रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र, अनुबंध – 1

ख. चुनाव लड़ने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों की ओर से नामांकन अनुबंध – 2

ग. व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा उसके साथ एक वचनपत्र जिनके साथ सम्बन्धित दस्तावेज़, प्रमाण पत्र, होंगे जैसे कि व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि के प्रमाण पत्र इत्यादि! अनुबंध – 3

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनावः

(क) नामांकनों की जांच, नामांकनों की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहले कार्यदिवस 04.09.2018 को विस्तारित सरकार के दिशानिर्देश तथा आरबीआई अधिसूचना के शर्तों के अनुसार 'फिट एवं उचित" स्टेटस के साथ की जायेगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ख) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन हो तो ऐसे नामांकित उम्मीदवार को तुरन्त निर्वाचित हुआ समझा जायेगा एवं उसके नाम और पता निर्वाचित उम्मीदवार के रुप में प्रकाशित किया जाएगा। फिर भी निर्वाचित उम्मीदवार परिणाम घोषित होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकते हैं।

(ग) हो रहे चुनाव के समय, यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जायेंगे । चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चुना हुआ समझा जायेगा और उनके नाम बैठक में अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जायेंगे और स्क्रटिनाईजर से प्राप्त रिपोर्ट के पश्चात् समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जायेंगे । वे परिणाम की घोषणा के अगले दिन कार्य भार सम्भालेंगे।

(घ) यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटान पीएनबी विनियमन के विनियम 67 के अनुसार किया जायेगा।

नामांकन वापिस लेना

यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापिस लेना चाहता है तो वह ऐसा को दिनांक 05.09.2018 को सायं 5.00 बजे तक बैंक के बंद होने से पूर्व कर सकता है।

निदेशकों का हित

बैंक के कारोबार की उपर्युक्त मद में किसी भी निदेशकों का कोई हित नहीं है।

3. <u>ईएसपीएस आधार पर कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करना (कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना)</u>

अपनत्व की भावना को बढ़ाने और बैंक के कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से, बैंक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बैंक के कार्यकारी निदेशकों सहित अपने कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है {जैसा कि सेबी विनियम, 2014 के विनियमन 2 (1) एफ (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}। प्रस्तावित मुद्दा दीर्घकालिक संसाधनों की बढ़ती मांगों को पूरा भी करेगा और बेसल III की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करेगा।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी (एसबीईबी)) की अनुपालना में, बैंक ने पंजाब नैशनल बैंक कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना ("पीएनबी–ईएसपीएस") नामक योजना बनाई है। यह योजना बोर्ड की एक समिति द्वारा प्रशासित की जाएगी और लागू कानूनों की अनुपालना के अधीन होगी।

दीर्घकालिक संसाधनों में वृद्धि करने के अतिरिक्त, इस मुद्दे का उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदानों को पहचानना और उन्हें पुरस्कृत करना तथा बैंक के दीर्घकालिक हितों के साथ कर्मचारियों के हितों को एक साथ मिलाना; और
- कर्मचारियों के बीच अपनत्व और स्वामित्व की भावना को बढ़ाना।

  योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर बैंक द्वारा घोषित लाभांश के भुगतान सहित, यदि कोई हो, तो बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में एक समान होंगें।

सेबी के विनियमन 41 (4) (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर)) और सेबी के विनियमन 6 (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 की अनुपालना में, बैंक कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर के निर्गमन और आवंटन हेतु विशेष समाधान का प्रस्ताव दे रहा है {जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियमन 2 (1) एफ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}।

सेबी परिपत्र सं. सीआईआर / सीएफडी / पॉलिसी सेल / 2015 दिनांक 16 जून 2015 के अनुसार, इसमें उल्लिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार हैंः

ए. योजना का संक्षिप्त विवरण :

प्रस्ताव देते समय उचित प्रीमियम, जिसे इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए की भारत सरकार की धारित राशि 52.00% से कम नहीं हो, के साथ लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, जैसा कि पीएनबी–ईएसपीएस के अन्तर्गत सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 की विनियमन 2 (1) में परिभाषित हैं। बैंक सभी कर्मचारियों को रु. 2/– के अंकित मूल्य के 10(दस) करोड़ तक नए इक्विटी शेयरों की पेशकश का प्रस्ताव देता है।

a) Duly filled in Declaration Form; (Annexure 1)

b) Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to nominate in the elections; (Annexure 2)

c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience, etc. (Annexure 3)

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR

(a) Nominations shall be scrutinized by the Nomination Committee of the Board on 04.09.2018 i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations, to ascertain the 'Fit and Proper' status in terms of the RBI Notifications and extant Government guidelines. In case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.

(b) If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. However, the deemed elected candidate shall assume office only on the day after the declaration of result.

(c) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than one, the names of the candidates shall be published in the news papers. The candidate polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and his/her name will be declared by the Chairman of the meeting after receipt of scrutinizer's report and will also be published in newspapers. He/She will assume office on the day after the declaration of result.

(d) If there is any dispute the same shall be settled as per Regulation 67 of the PNB Regulations.

Withdrawal of Candidature

If any candidate desires to withdraw his nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 pm on 05.09.2018.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of Bank is interested in the aforementioned item of business.

3. Issue of Equity Shares to Employees on ESPS basis (Employee Stock Purchase Scheme)

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014}. The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 [SEBI (SBEB)], the Bank has formulated a Scheme namely Punjab National Bank Employee Stock Purchase Scheme ("PNB-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long-term interests of the Bank; and
- To enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees.

The new equity shares proposed to be issued under the Scheme shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Employees {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014}.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/ 2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME :

The Bank proposes to offer upto 10 (Ten) crore new equity shares of face value of Rs.2/- each of the Bank to all the Employees {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014} under PNB-ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, with appropriate premium to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India holding does not reduce below 52.00%.

बी. प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या :
पीएनबी–ईएसपीएस के अंतर्गत कुल मिलाकर 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर कर्मचारियों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है {जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014} के विनियमन 2 (1) एफ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}।

सी. पीएनबी–ईएसपीएस में सहभागिता करने और लाभार्थी बनने के पात्र कर्मचारियों के वर्गों की पहचानः
बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक(ओं) सहित बैंक के सभी कर्मचारी (जैसा कि एसईबीआई (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014} के विनियमन 2 (1) एफ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}।

डी. निहित करने की आवश्यकताएं और निहित करने की अवधिः
लागू नहीं।

इ. वह अधिकतम अवधि {सेबी (एसबीईबी) विनियम के नियम 18 (1) और 24 (1) के अधीन, जैसा भी मामला हो} जिसके भीतर विकल्प स्टॉक स्वीकृति अधिकार (एसएआर)/लाभ दिए जाएंगेंः
लागू नहीं।

एफ्. अतिरिक्त मूल्य,एसएआर मूल्य, खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण सूत्रः
प्रस्ताव मूल्य /खरीद मूल्य का निर्धारण निदेशक/समिति मंडल द्वारा पेशकश के समय किया जाएगा। बैंक के कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले शेयरों की कीमत {जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014} के विनियमन 2 (1) एफ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}, बोर्ड/समिति दवारा निर्धारित किए जाने वाले नियम एवं शर्तों के आधार पर तय होगी।

जी. कार्य अवधि और कार्य की प्रक्रियाः
बोर्ड/समिति के निर्णय के अनुसार जिस अवधि के दौरान मामला खुला रहता है वह अवधि कार्य अवधि होगी। कार्य की प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ–साथ, कर्मचारियों को प्रदान की गई पेशकश {जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014} के विनियमन 2 (1) एफ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}, आवेदन और सदस्यता राशि की प्राप्ति तथा योजना के अनुसार शेयरों का आवंटन शामिल होगा।

एच्. प्रस्तावित ईएसपीएस के लिए कर्मचारियों की योग्यता को निर्धारित करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रियाः
पेशकश करने की तिथि को पात्र कर्मचारी, लागू विनियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अधीन भागीदारी करने के पात्र होंगें।

I. प्रति कर्मचारी और कुल मिलाकर जारी किए जा सकने वाले विकल्पों, एसएआर, शेयरों, की अधिकतम संख्या जैसा भी मामला होः
योजना के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रति कर्मचारी नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या बोर्ड / समिति द्वारा तय की जाएगी। बैंक कुल मिलाकर अधिकतम 10,00,00,000 (दस करोड़) नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखता है।

J. योजना के तहत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जाने वाले लाभों की अधिकतम मात्राः
योजना के तहत कर्मचारियों को जारी इक्विटी शेयरों के अलावा, {जैसा सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियमन 2 (1) एफ के तहत परिभाषित किया गया है,} जैसा उपरोक्त पैरा (आई) में दर्शाया गया है, कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

K. योजना (एस) को सीधे बैंक द्वारा लागू और प्रशासित किया जाएगा अथवा ट्रस्ट के माध्यम सेः
प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा लागू तथा प्रशासित की जाएगी।

L. क्या योजना (एस) के तहत कम्पनी द्वारा नए शेयर जारी किए जाएंगे या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण रहेगा या दोनोंः
प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक सीधे कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करेगा {जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014} के विनियमन 2 (1) एफ के तहत परिभाषित किया गया है।

M. कंपनी द्वारा योजना (एस) के कार्यान्वयन के लिए ऋण की राशि ट्रस्ट को, इसके कार्यकाल, उपयोगिता, पुनर्भुगतान शर्तों इत्यादि के लिए प्रदान की जाएगी।
प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधे कर्मचारियों को जारी किए जाने का प्रस्ताव है {जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियमन 2 (1) एफ के तहत परिभाषित किया गया है} और इस तरह, ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण प्रदान किया जाना लागू नहीं है।

N. द्वितीयक अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी नियमों के तहत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन) जो योजना (एस) के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट द्वारा बनाया जा सकता हैः
लागू नहीं.

O. इस प्रभाव के लिए वक्तव्य कि कंपनी सेबी के नियम 15 (एसबीईबी) नियमों में निर्दिष्ट लेखा नीतियों का पालन करेगीः
बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 के विनियमन 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगा।

P. विधि जो कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य ज्ञात करने के लिए उपयोग करेगीः
प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखता है और इस प्रकार, विकल्पों या एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं है।

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED :

Up to 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Employees {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014} under the PNB-ESPS.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE PNB-ESPS :

All employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014}.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING :

Not Applicable.

E. MAXIMUM PERIOD {SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE} WITHIN WHICH THE OPTIONS/STOCK APPRICIATION RIGHTS (SARs)/BENEFIT SHALL BE VESTED :

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board / Committee of Directors at the time of offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Employees of the Bank {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014} shall be on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Employees {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014}, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE:

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by Board/Committee. The Bank proposes to issue maximum of 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate.

J. MAXMIUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME :

Other than equity shares issued to the Employees {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014} under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

K. WHETHER THE SCHEME (S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST :

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH :

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Employees {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014}.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME (S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC. :

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Employees {as defined under regulation 2(1) f of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014} and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S) :

Not Applicable.

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS :

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs :

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. निम्न टिप्पणी, यदि लागू होः

यदि बैंक अंतर्निहित मूल्य का उपयोग करके शेयर आधारित कर्मचारी लाभों का विस्तार करने का विकल्प चुनता है, तो संगणित कर्मचारी मुआवजे की लागत और कर्मचारी मुआवजे की लागत, जिसे मान्यता दी जाएगी, यदि इसमें उचित मूल्य का उपयोग किया गया हो, तो इनके बीच के अंतर का प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में किया जाएगा साथ ही, 'लाभ और बैंक के प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") पर इस अंतर के प्रभाव का प्रकटीकरण भी निदेशक रिपोर्ट में किया जाएगा। यदि लागू हो, तो बैंक उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करेगा।

R. लॉक–इन अवधिः

वर्तमान ईएसपीएस के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के अनुसार आवंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष के लिए लॉक–इन रहेंगे।

निदेशक मंडल प्रस्तावित संकल्प के पारित होने की सिफारिश करता है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और बैंक के अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) उपरोक्त प्रस्तावों से सम्बन्ध या उसमें रुचि रखते हैं क्योंकि यह उनके लाभ के लिए है। अन्य निदेशकों का संकल्प से सम्बन्ध या उसमें रुचि नहीं है।

4. भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना

ए) अधिमानी मुद्दे के उद्देश्य – एक पहल के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने इन बैंकों में अपना शेयर पूंजी बढ़ाने का फैसला किया। तदनुसार भारत सरकार ने भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी के वरीयता आवंटन के माध्यम से बैंक में 2816 करोड़ रुपये (केवल दो हजार आठ सौ सोलह करोड़ रुपये) का निवेश करने का फैसला किया है।
इसलिए सेबी (आईसीडीआर) विनियमों का विनियमन 76 (1) के अनुसार 2816 करोड़ रुपये की राशि तक के प्रति 2रू. के निर्धारित रू. 87.97 प्रीमियम पर 31,29,93,219 इक्विटी शेयर की पूरी तरह से भुगतान जारी करने के लिए सेबी दिशानिर्देशों के मुताबिक, भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयरों के अधिमानी मुद्दे के माध्यम से शेयरधारक की मंजूरी मांगी गई है।

बी) बैंक के प्रमोटर के रूप में पूरे अधिमान्य मुद्दे को भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइब किया जाएगा | उपर्युक्त इक्विटी शेयरों के मुद्दे के मूल्य के निर्धारण के लिए समय–समय पर संशोधित सेबी (आईसीडीआर विनियम) के अनुसार अधिमान्य मुद्दे के लिए प्रासंगिक तिथि 17.08.2018 होगी, जो वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिन पहले की तारीख है ((18.08.2018 और 19.08.2018 को सप्ताहांत/अवकाश है)।

सी) शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस मुद्दे से पहले और बाद मेंः

क्र.सं.	श्रेणी	मुद्दे से पहले		मुद्दे के बाद	
		चालू शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
अ	प्रमोटर होल्डिंग (भारत सरकार)	171,84,45,145	62.25%	203,14,38,364	66.09%
ब	गैर प्रमोटर होल्डिंग	104,21,28,082	37.75%	104,21,28,082	33.91%
कुल		276,05,73,227	100.00%	307,35,66,446	100.00%

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमों में बताए गए निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्या प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करता है।

चूंकि पूरे मुद्दे को भारत सरकार को आवंटित करने का प्रस्ताव है, बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रमोटर को वरीयता के आधार पर नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ।

डी) भारत सरकार की प्री और पोस्ट इश्यू शेयरहोल्डिंग निम्नानुसार होगीः

	शेयरों की संख्या	पूंजी के लिए प्रतिशत
प्री इश्यू	171,84,45,145	62.25%
पोस्ट इश्यू	203,14,38,364	66.09%

ई) बैंक के इक्विटी शेयर छह महीने से अधिक समय के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं और तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान और विनियमन 73 (1) (एफ) और (जी) के तहत खुलासे पर सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 लागू नहीं हैं।

एफ) सभी इक्विटी शेयर जो भारत सरकार को जारी और आवंटित किए जाएंगे व्यापार अनुमोदन की तारीख से तीन साल की अवधि तक लोक्ड कर दिये जायेगे । आवंटन (यानी भारत सरकार) का संपूर्ण पूर्व–अधिमानी आवंटन शेयरधारक, व्यापार अनुमोदन की तारीख से छह महीने की अवधि तक प्रासंगिक तिथि से लॉक–इन किया जाएगा।

जी) वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार यह मुद्दा बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

एच) भारत सरकार द्वारा आयोजित सभी इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड मोड में हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग अनुबंध में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की निरंतर सूची की शर्तों का पालन किया है, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

आई) इक्विटी शेयर भारत सरकार के पक्ष में जारी करने पर जो प्रासंगिक समय पर लागू हो सकते हैं या जिसमें कोई भी संशोधन शामिल है सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अधीन होंगे।

जे) बैंक यह मानता है कि जारीकर्ता इन नियमों के प्रावधान के संदर्भ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की कीमत की पुनः गणना करेगा जहां ऐसा करने की आवश्यकता है।

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE :

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' report. The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. LOCK-IN PERIOD :

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Resolution. The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution (s) as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

4. Issue of Equity Shares on preferential basis to Govt. of India

a) Objects of the Preferential Issue - In an initiative to strengthen the capital adequacy of the Public Sector Banks (PSBs), the Government of India decided to raise its holding in these Banks. Accordingly GoI has decided to infuse a sum of Rs.2816 crore (Rupees Two Thousand Eight Hundred Sixteen crore only) in the Bank by way of preferential allotment of equity in favour of Government of India. Shareholder approval is therefore sought for issue of 31,29,93,219 Equity Shares of Rs. 2/- each fully paid for cash at a premium of Rs. 87.97 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations, up to an amount of Rs. 2816 crores, through preferential issue of equity shares in favour of the GoI, as per SEBI guidelines,.

b) The entire preferential issue will be subscribed by the GoI – the promoter of the Bank. The relevant date for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 17.08.2018 being the date 30 days prior to the date of Annual General Meeting (being weekend/holiday on 18.08.2018 & 19.08.2018).

c) Shareholding pattern before and after the issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentag share-holding	No. of shares held	Percentage shareholding
A	Promoter's Holding (GoI)	171,84,45,145	62.25%	203,14,38,364	66.09%
B	Non – Promoter Holding	104,21,28,082	37.75%	104,21,28,082	33.91%
Total		276,05,73,227	100.00%	307,35,66,446	100.00%

The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control.

d) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	171,84,45,145	62.25%
Post – issue	203,14,38,364	66.09%

e) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

f) All the equity shares to be issued and allotted to the GoI shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval. The entire pre-preferential allotment shareholding of the allotee (i.e GoI), shall be locked-in from the relevant date upto a period of six months from the date of trading approval.

g) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.

h) All the equity shares held by the GoI are in dematerialized mode and the Bank has complied with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

i) The issuance of equity shares in favour of GoI shall be subject to SEBI(ICDR) Regulations, 2009 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.

j) The Bank undertakes that that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so;

के) बैंक यह मानता है है कि यदि इन नियमों में निर्धारित समय के भीतर मूल्य की पुनः गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को तब तक लॉक किया जाएगा जब तक कि इस तरह की राशि आवंटित द्वारा भुगतान नहीं की जाती है।

एल) भारत सरकार ने प्रासंगिक तारीख से पहले छह महीने के दौरान बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर नहीं बेचे हैं।

एम) सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी आईसीडीआर विनियम 2009 के विनियमन 72 के संदर्भ में, बैंक के शेयरधारकों की मंजूरी को जारी करने के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अधिमान्य आधार पर शेयर आवंटित करने के लिए आवश्यक है।

एन) बैंक का कोई भी निदेशक, सिर्फ अपनी शेयरधारिता को छोड़कर यदि कोई हो संकल्प में चिंतित या रुचि नहीं रखते।

टिप्पणियाँ:

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और मत देने के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर उपस्थित होने और मत देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी पात्र होगा/होगी तथा ऐसी प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है लेकिन ऐसी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।। बैठक में प्रॉक्सी पत्र के गारंटी. कर्ता को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त की जाने वाली लिखत को प्रभावी करने के लिए, उसे शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय **प्लॉट स.4, सेक्ट,10, द्वारका, नई दिल्ली–110075** में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् बृहस्पतिवार, 13.09.2018 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए। प्रॉक्सी फार्म का प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैंक की बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक, जिस में यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की पंजाब नैशनल बैंक के शेयर विभाग, वित्त प्रभाग **प्लॉट स.4, सेक्ट,10, द्वारका, नई दिल्ली–110075** में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् बृहस्पतिवार, 13.09.2018 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व वार्षिक आम बैठक स्थल पर इसे सुपुर्द करें।

4. शेयरधारकों का रजिस्टर बन्द होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें बुधवार 12.09.2018 से मंगलवार,18.09.2018 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

5. लाभांश का प्राप्त न होना

शेयरधारक कृपया नोट करें कि सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, यदि लाभांश राशि देय तिथि से 7 वर्षों तक बिना भुगतान दावा के रहती है, तब भुगतान न की गई कथित राशि भारत सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण फंड (आईईपीएफ) में अंतरित करनी होती है। अतः वित्त वर्ष 2010–11 के लिए लाभांश खाते में अप्रदत्त/अदावाकृत राशि आईईपीएफ को अंतरित कर दी गई हैं। अतः वे शेयरधारक जिन्हें उक्त लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए अपना दावा 30.06.2018तक प्रस्तुत करें। उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर बैंक उन्हें देय राशि का भुगतान कर देगा। कृपया नोट करें कि अप्रदत्तं राशि के आईईपीएफ खाते में अंतरण के पश्चात् बैंक के या आईईपीएफ के विरुध्द कोई व्यक्तिगत दावा नहीं किया जा सकेगा। 2011–12 (अंतिम) से आगे अप्रदत्तर/अदावाकृत लाभांशों की वर्षवार सूची बैंक के वैबसाइट www.pnbindia.in के 'इन्वेस्ट र्स इन्फो' के अंतर्गत अपलोड है।

6 शेयरधारकों से अनुरोध

(क) शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी। अतः शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे एतद्द्वारा भेजी जा रही वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति अपने साथ लाएं। वार्षिक रिपोर्ट, परिशिष्ट सहित बैंक की वैबसाइट www.pnbindia.in पर भी उपलब्ध की जा रही है।

(ख) 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट के लिए उन सभी शेयरधारकों को, जिनमें ई–मेल,आईडी, एसटीए में पंजीकृत हैं, इलैक्ट्रानिक प्रति भेजी जाएगी। डिपाजिटरी सहभागी जब तक कि किसी शेयरधारक द्वारा उनकी हार्ड प्रति न मांगी हो। जिन शेयरधारकों की ई–मेल पंजीकृत नहीं है उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 की प्रति एक भौतिक रूप में भेजी जाएगी।

(ग) 17वीं वाषिक आम बैठक (एजीएम) में नोटिस की इलैक्ट्रानिक प्रति जिसमें ईवोटिंग की प्रणाली और व्यवहार अनुबंध , उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फार्म पत्राचार आदि उद्देश्य के लिए जिनकी जब तक कि कोई शेयरधारक भौतिक रूप से मांग न करें। सभी शेयरधारकों जिनकी ईमेलआईडी एसटीए/डिपाजिटरी सहभागी के साथ पंजीकृत है शेयरधारक को ई–मेल पंजीकृत नहीं है उन्हें 17वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भौतिक रूप में भेजी जाएगी जिसमें ईवोटिंग की प्रणाली और व्यवहार अनुबंध, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फार्म पत्राचार, घोषणा, अनुबन्ध, दर्शाया गया है।

k) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the allottees.

l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

m) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis.

n) None of the Directors of the Bank is concerned or interested in the resolution, except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank. The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting. The proxy in order to be effective, must be received by the Bank at the Finance Division, Share Department, Head Office, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Thursday, the 13.09.2018.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting as duly authorized representative of a body corporate, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Finance Division, Share Department, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Thursday, the 13.09.2018. No person shall be appointed as an authorized representative, who is an officer or an employee of the Bank.

3. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorized Representatives are requested to affix their signatures at the space provided on the enclosed Attendance Slip-cum-Entry Pass and surrender the same at the AGM venue.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, the 12th September 2018 to Tuesday, the 18th September 2018 (both days inclusive).

5. NON RECEIPT OF DIVIDEND

Shareholders are also hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to Investor Education & Protection Fund (IEPF) set up by Central Government. As such, the unpaid/unclaimed amount in Dividend Account for FY 2010-11 has been transfer to IEPF. The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for year 2011-12 are, therefore, requested to claim the same not later than 30th June 2019 by giving their latest address, Mobile/Telephone No. Folio No./ DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, branch address, Bank account no. and IFS code etc. for claiming the amount. Please note that once the unpaid amount is transferred to IEPF, no individual claim shall lie against the Bank. Year-wise list of unpaid/unclaimed dividend from 2011-12 onwards is uploaded on Bank's website www.pnbindia.in under 'Investors' Info'.

6. REQUEST TO SHAREHOLDERS

a) Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the meeting. Shareholders/Proxyholders/ Authorized Representatives are, therefore, requested to bring their copies of the Annual Report to the meeting. The Annual Report along with formats is being posted on the Bank's Website at www.pnbindia.in

b) Electronic copy of the Annual Report for 2017-18 is being sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the STA / Depository Participant(s) for communication purposes unless any shareholder has requested for a hard copy of the same. For shareholders who have not registered their email address, physical copies of the abridged Annual Report for 2017-18 are being sent in the permitted mode, separately.

c) Electronic copy of the Notice of the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting along with Nomination forms, Declaration, Annexure, Attendance Slip and Proxy Form etc. is being sent to

(घ) शेयरधारक यह भी नोट करें कि 17वीं एजीएम/वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 के नोटिस बैंक की वैबसाइट www.pnbindia.in पर भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। कार्य दिवसों पर सामान्य कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्लॉट न0.4,सेक्ट,10 द्वारका, नयी दिल्ली–110075 बैंक के प्रधान कार्यालय में भी उपलब्ध होगी। इसके पश्चात् ई–कम्युनिकेशन, शेयरधारकों के लिए पंजीकरण भौतिक रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए फ्री आफ कास्ट डाक द्वारा विशेष अनुरोध करने पर प्राप्त करने के अधिकारी होंगें। शेयरधारक अपने अनुरोध को बैंक की ई–मेल आईडी hosd@pnb.co.in पर भी भेज सकते हैं।

(ड.) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक स्थल पर कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

(च) कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडीटोरियम के अंदर, ब्रीफकेस, खाने का सामान एवं अन्य वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं है। बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करें।

7. ई वोटिंग के माध्यम से वोट का अधिकार

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक का कोई भी शेयरधारक, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल वोट के अधिकार के 10% से अधिक वोटिंग के अधिकार का हकदार नहीं होगा । यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में पहले दर्ज़ होगा, उसे वोट देने के संबंध में एकल धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015, शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है, और वे अपना वोट इलैक्ट्रानिक साधन द्वारा मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

मतदान प्रक्रिया

इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान

i) सेबी (सूचीकरण अपेक्षायें एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टाक एक्स्चेजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित और यथासंशोधित् कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक द्वारा शेयरधारकों को सैंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा अपनी वेबसाईट www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराये गये ई–वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा दे रहा है। शेयरधारकों की ई–वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट–आफ तिथि2 11.09.2018 है।

ii) मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी बैठक में उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों जिन्होने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

iii) वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट कर दिया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दुबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं है।

iv) ई–वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नवत् है :

(i) ईवोटिंग की अवधि 15.09.2018 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 17.09.2018 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में 11.09.2018 की कट आफ तिथि के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में शेयरधारिता हो वे अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। ई वोटिंग के बाद सीडीएसएल द्वारा ईवोटिंग माडयूल हटा दिया जाएगा।

(ii) शेयरधारक, ई–वोटिंग के लिए वैबसाईट www.evotingindia.com पर लॉगिन करें।

(iii) "Shareholders@ Members" टैब पर क्लिक करें।

(iv) अब अपनी यूज़र आईडी प्रविष्टि करें

क) सीडीएसएल के लिए :16 अंकों की लाभार्थी आईडी

ख) एनएसडीएल के लिए :8 डिज़िट की ग्राहक आईडी द्वारा अनुपालित 8 अंकों की डीपीआईडी

ग) भौतिक रूप में शेयरधारिता करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो सं0 प्रविष्ट की जानी चाहिए।

(v) इसके पश्चात प्रदर्शित इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आप डीमैट रूप में शेयर धारित करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगिन किया है और किसी कंपनी के लिए पूर्व में वोटिंग किया है, तब मौजूदा पासवर्ड उपयोग में लाएं।

(vii) यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों की अनुपालना करें:

all the shareholders whose email IDs are registered with the STA/Depository Participants(s) for communication purposes unless any shareholder has requested for a hard copy of the same. For shareholders who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Nomination form, Declaration, Annexure, Attendance Slip and Proxy Form etc. is being sent in the permitted mode.

d) Shareholders may also note that the Notice of the 17th AGM and the Annual Report for 2017-18 will also be available on the Bank's website www.pnbindia.in for download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Finance Division, Share Department, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, shareholders are entitled to receive such communication in physical form, upon making a specific request, by post, free of cost. The shareholders may also send their requests to the Bank's email-id: hosd@pnb.co.in

e) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

f) Due to security reasons brief cases, eatables & other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.

7. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

VOTING PROCESS

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered in the Meeting by electronic means through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and voting at the general meeting. The Cut-off Date2 for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting and voting at general meeting is 11.09.2018.

II. That the facility for voting shall also be made available at the meeting & members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

III. That the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as under

(i) The remote e-voting period begins on 15.09.2018 (9:00 am) and ends on 17.09.2018 (5:00 pm). During this period, shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 11.09.2018, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com

(iii) Click on "Shareholders/Members".

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया अपना 10 अंकों का एल्फा न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक दोनों के लिए लागू) • सदस्य जिन्होंने कम्पनी / डिपाजिटरी सहभागी के साथ अपना पैन न0. अद्यतन नहीं किया है से अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले दो अक्षरों और क्रम स0.के 8 अंकों का उपयोग करें। • यदि क्रम संख्या 8 अंकों से कम है तो कैपिटल लैटरस में नाम के पहले 2 अक्षरों के बाद लागू संख्या जीरो दर्ज करें जैसे यदि क्रम स0.1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में आरए00000001 दर्ज करें।
लाभांश बैंक ब्यौरा या जन्म तिथि	लाभांश बैंक ब्यौरा या जन्मतिथि (दिन/ माह/ वर्ष) अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज लाभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें। यदि यह दोनों ब्यौरा कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ दर्ज नहीं है, कृपया डिविडेंड बैंक डिटेल्स फील्ड में सदस्य आईडी /फोलियो संख्या दर्ज करें जैसा कि मद स0. (iv) में वर्णित है।

(viii) इन ब्यौरों को उचित प्रकार से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सीधे कंपनी सलेक्शन स्क्रीन पर जाएंगें तथापि डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य पासवर्ड क्रिएशन विकल्प में जाएंगें जिसमें उनसे नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना अपेक्षित है । कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु डीमैट धारकों द्वारा किया जाना है, जिस पर वे वोटिंग के लिए पात्र है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई–वोटिंग चुनें। यह दृढतापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें।

(x) भौतिक रूप मे शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्यौरे का उपयोग इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई–वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

(xi) पंजाब नैशनल बैंक के लिए "EVSN" पर क्लिक करें जिस पर वोट करने के लिए चुनते हैं ।

(xii) वोटिंग पेज पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखेगा और इसके विपरीत वोटिंग के लिए "YES/NO" विकल्प दिखेगा। ऐच्छिक विकल्प "YES/NO" चुनें। आप संकल्प के समर्थन में है और विकल्प NO का तात्पर्य है कि आप संकल्प के विरूद्ध है।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरा देखना चाहते हैं तो ''RESOLUTION FILE LINK''पर क्लिक करें।

(xiv) संकल्प चयन के पश्चात् आपने उस पर वोट करने का निर्णय लिया, SUBMIT"पर क्लिक करें। पुष्टि बाक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट सुनिश्चित करना चाहते हैं, OK पर क्लिक करें लेकिन वोट बदलने के लिए CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें ।

(xv) एक बार आपने संकल्प पर अपना वोट CONFIRM कर दिया तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी

(xvi) आप वोटिंग पेज पर 'Click here to print' विकल्प पर क्लिक करके स्वयं द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

(xvii) यदि डीमैट खाताधारक परिवर्तित पासवर्ड भूल गया हो तब यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और FORGOT PASSWORD पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा तैयार किया गया ब्यौरा दर्ज करें।

(xviii) **सीडीएसएल का प्रयोग करके शेयरधारक एंड्रोयड आधारित मोबाईल पर एमवोटिंग से भी अपना वोट दे सकते हैं। एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल और विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमशः एप स्टोर व विंडो फोन स्टोर से एप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाईल से वोट करते समय मोबाईल एप पर प्रदर्शित निर्देशों की अनुपालना करें।**

(xix) गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों एवं कस्टोडियन्स के लिए नोट :

- गैर–वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन से अपेक्षित है कि www.evotingindia.comij लॉगिन करें और स्वयं को कारपोरेटस के रूप में पंजीकृत करें।
- उपक्रम का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करना चाहिए।
- लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद कम्प्लाएंस यूजर द्वारा उपयोग की जाने वाली एडमिन लागिन और पासवर्ड सृजित करना चाहिए/ कम्प्लाएंस यूजर खाता (तों) जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं को लिंक करने में सक्षम होगा ।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट देने के लिए सक्षम होंगें।
- उन्हें बोर्ड संकल्प और पावर आफ एटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति अपलोड करनी चाहिए जिसे उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, इसे सत्यापित करने के लिए संवीक्षक हेतु सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

ई–वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले के लिए, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ((FAQs) और help section के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई–वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल लिख सकते हैं। ई वोटिंग के लिए अधिकारी का सम्पर्क सूत्र निम्न वर्णित है:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then reach directly the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of Punjab National Bank on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If a Demat account holder has forgotten the changed login password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) Note for Non-Individual Shareholders & Custodians:

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin log-in & password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The contact details of official for e-voting are as follows:

नाम	–	श्री राकेश डाल्वी
पदनाम	–	प्रबन्धक
पता	–	सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लि. ड्ब्ल्यू विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचुरैक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन.एम.जोशी मार्ग, लोवर परेल (ई), मुम्बई – 400013.
ई–मेल	–	helpdesk.evoting@cdslindia.com
दूरभाष	–	1800225533

v) यदि आप सीडीएसएल के साथ ई–वोटिंग के लिए पहले ही पंजीकृत हैं तब आप मतदान के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का उपयोग कर सकते हैं।

vi) ईवोटिंग की अवधि 15.09.2018 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 17.09.2018 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट आफ तिथि2 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं । ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ईवोटिंग माडयूल हटा दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान करने के पश्चात् शेयरधारक को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vii) शेयरधारक वोटिंग का केवल एक मोड अर्थात् या तो एजीएम में उपस्थित होकर भौतिक रूप में या ई–वोटिंग का विकल्प चुन सकता है। यदि कोई शेयरधारक ई वोटिंग का विकल्प चुनता है तो वह एजीएम में भौतिक रूप में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

viii) चूंकि केवल एक शेयरधारक का चुनाव है इसलिए एक से अधिक निदेशक के लिए वोट नही दिया जा सकता अन्यथा वोट अवैध होना चाहिए।

ix) उपरोक्त के विषयाधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक जो कट ऑफ तिथि तक एक पंजीकृत शेयरधारक है वह अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट दे सकते है।

x) मैः आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई–मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) में कार्यरत सुश्री आशु गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्या संख्या F4123] CP No- 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

xi) संवीक्षक, आम बैठक के दौरान हुई वोटिंग के तुरंत बाद डाले गए वोटों की गिनती करेगा तत्पश्चात् दो (2) साक्ष्यों की उपस्थिति में जो बैंक के नियोजन में न हों, वोट अनब्लॉक करेगा और बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, लिखित रिपोर्ट बैठक के अध्यक्ष को एजीएम की समाप्ति के 48 घंटो के अन्दर प्रस्तुत करेगा या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत एक व्यक्ति प्रति हस्ताक्षर करेगा। अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति वोटिंग के परिणामो की घोषणा करेगा।

xii) संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा, बैंक की वेबसाईट www.pnbindia.in पर और सीडीएसएल की वेबसाईट पर अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा।

8. शेयरधारकों से अपील

पेपर बचाने के लिए, जो शेयरधारक डीमेट खाते में शेयर धारणकर्ता है उनसे निवेदन है कि वे अपना ई–मेल (यदि पंजीकृत न हो तो) अपने डीमेट खाते में पंजीकरण दर्ज करा लें ताकि नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट व अन्य सम्पर्क सूत्र ई–मेल द्वारा भेजे जा सकें।

जो शेयरधारक भोतिक रुप से शेयर धारणकर्ता है उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल आईडी अपने अनुरोध (फोलियो संख्या के साथ) सहित आरटीए के साथ नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट व अन्य सम्पर्क सूत्र ई–मेल के माध्यम से भेजने के लिए निम्न पते पर अद्यतन करा लें।

बीटल फाईनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसिज (प्रा.) लिमिटेड, (यूनिटः पीएनबी),

बीटल हाउस' तृत्तीय तल,99, मदनगीर, लोकल शोपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली–110062

टेलि. न0. 011–29961281/82/83, फैक्सः 011–29961284

ई मेल : beetal@beetalfinancial.com

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते पंजाब नैशनल बैंक

(पी.के.शर्मा)
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17.08.2018

Name	-	Mr. Rakesh Dalvi
Designation	-	Manager
Address	-	Central Depository Services (India) Ltd., W-wing, 25th Floor, Marathon Futurex Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013.
E-mail ID	-	helpdesk.evoting@cdslindia.com
Phone no.	-	1800225533

V. If you are already registered with CDSL for e-voting earlier then you can use your existing password for casting your vote.

VI. The remote e-voting period commences on 15.09.2018 (9:00 am) and ends on 17.09.2018 (5:00 pm). During this period, shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off Date2 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

VII. Shareholders can opt for only one mode of voting, i.e. either physically by attending AGM or remote e-voting. If any shareholder opts for remote e-voting, he will not be eligible to vote physically in AGM.

VIII. As the election is for one Shareholder Director only, vote be cast for not more than one Director else the votes cast shall be treated as invalid.

IX. Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date shall have one vote for each share held by him/her.

X. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

XI. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

XII. The Results along with the Consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.pnbindia.in and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman.

8. APPEAL TO SHAREHOLDERS

To save papers, shareholders holding Shares in Demat Accountsare requested to **get register** (if not registered) their **email ID in their Demat Account** so that notices/Annual Reports & other communication may be sent through E-Mail.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to update their email ID with RTA by sending their request (along with their Folio Number) for receiving the notices/Annual Reports & other communication through their mail-ID, at following address:

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited (Unit: PNB), Beetal House',
3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284.
E-mail: **beetal@beetalfinancial.com**

By order of the Board of Directors
for **PUNJAB NATIONAL BANK**

Place: NEW DELHI
Date: 17.08.2018

(P K Sharma)
Chief Finance Officer

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या– 4,सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली 110 075

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

(पीएनबी विनियमन के विनियम 65 देखें)

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....
..... निवासी..... एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि :

क) 14.08.2018, मंगलवार अर्थात् नामांकन व चुनाव में भाग लेने के लिए कट ऑफ तिथि 1 को मैं बैंक का/की शेयरधारक हूँ और मेरी शेयरधारिता ———————————————— इक्विटी शेयरों की है यदि मैं बैंक निदेशक चुना जाता/जाती हूँ। तो अपने कार्यकाल के अन्त तक इन शेयरों का धारित रखूंगा/रखूंगी।

ख) मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा अन्य आईटी/भुगतान व निपटान व्यवस्था/मानव संसाधन/जोखिम प्रबन्धन/बिजनेस प्रबन्धन आदि की विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से जिस विषय का विशेष ज्ञान अथवा/ और व्यावहारिक अनुभव बैंक के लिए लाभदायक होगा, और मैं, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसरण में जमाकर्ताओं और/अथवा कृषकों, कर्मकारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके प्रमाण में संबंधित प्रमाणपत्रों को संलग्न कर रहा हूँ; और

ग) मैं ———————— से ————————— तक नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ ; और

घ) मैं पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव में भाग लेने का/की इच्छुक हूँ; और

ड.) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2000, भारत सरकार के अनुसार और इसके लिए अनुवर्ती संशोधनों के तहत बैंक का/की निदेशक होने के अयोग्य नहीं हूँ और

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; तथा

छ) मैंने न तो कोई लाभ का पद धारित किया है और न ही किसी राष्ट्रीयकृत अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का/की कर्मचारी हूँ और

ज) मैं किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया है न ही मेरे द्वारा कोई भुगतान निलम्बित किया गया है और न ही मेरा उधारकर्ताओं के साथ कोई सम्बन्ध है।

झ) सक्षम अदालत द्वारा मुझे अस्वस्थ दिमागवाला घोषित नहीं किया गया है और न ही आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है;

ञ) मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या उच्च न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अदालत द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

ट) मैं किसी भी किराए पर ली गई खरीद , वित्तपोषण निवेश, पट्टेबाजी और अन्य पैरा–बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा/जुड़ी हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं एमपी / विधायक/ एमएलसी / स्टॉक ब्रोकर हूँ।

ठ) मैं किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, या वित्तीय संस्थान या आरबीआई या बीमा कंपनी के बोर्ड पर किसी भी श्रेणी के तहत दो पद या छह साल के लिए जो भी अधिक हो और चाहे लगातार या अंतःक्रियात्मक हो निदेशक नहीं रहा/रही हूँ।

Annexure - 1

PUNJAB NATIONAL BANK

Head Office: Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi 110075

DECLARATION

(By the Candidate)

(Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

I, _____ son/daughter/wife of Shri._____, a resident of ___ _____ hereby confirm that:

a) I am a shareholder holding _____ equity shares of Bank, as on Tuesday, the 14th August 2018, i.e. the Cut-off Date1 for nominating and contesting in the elections; and undertake to hold the shares till the end of tenure, if elected as a Director of the Bank.

b) *I have special knowledge or practical experience in (i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry or any other matter the specialized knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/ Risk Management/Business Management etc and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank and I represent the interest of Depositors or Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials; and

(* Delete whichever is not applicable)

c) I accept the nominations numbered from _____ to _____; and

d) I am willing to contest for the election as Director of Punjab National Bank; and

e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks; and

f) I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and

g) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955; and

I further declare that:

h) I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

i) I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

j) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate of High Court or any other court; and

k) I am not connected with any hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock broker; and

l) I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently; and

ड) मैं अतीत में इस बैंक के बोर्ड का किसी भी श्रेणी के तहत दो अवधि या छह साल के लिए निदेशक नहीं रहा/रही हूँ।

ढ) मैं बैंक में निर्वाचित होने के तुरंत बाद बैंक के साथ गंभीर व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो, और अपने कार्यकाल के दौरान और उसके बाद दो साल की अवधि के लिए बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं रखूंगा/रखूंगी।

त) मैं किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक या सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान में शामिल नहीं हूँ; तथा

थ) मैं इस घोषणा के बाद होने वाले परिवर्तन से, जो इससे पहले दी गई सूचना से संबंधित हों और बैंक में निदेशक के पद पर मेरे चयन हेतु प्रसंविदा विलेख के निष्पादन के लिए अपेक्षित हों, यथासंभव शीघ्र बैंक को अवगत करवाने का वचन देता/देती हूँ।

द) जब तक मैं बैंक के निदेशक के पद पर हूँ तब तक मैं सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करूंगा/करूंगी।

ध) अन्य कम्पनियों में मेरी वर्तमान व पूर्व निदेशक के रूप में कार्य करने का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

कम्पनी/बैंक का नाम	निदेशक पद का विवरण जैसे कार्यकाल, अवधि आदि

न) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/रही हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो/ डीपीआईडी–सीएलआईडी	
स्थान :	
दिनांक :	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

मोहर सहित हस्ताक्षर तथा ——————————————————

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम ——————————

नोट – घोषणा पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन संबंधी रजिस्ट्रार अथवा उप–रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या पंजाब नैशनल बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष मोहर सहित होने चाहिए।

m) I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and

n) I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

o) I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor or Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor; and

p) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

q) I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

r) I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, period etc.

s) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief is true and complete in all respect;

Signature	
Name	
Number of Shares	
Regd. Folio/DPID-CLID	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and_____

Name of the attesting official_____

Note: The declaration must be signed by the Candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or Punjab National Bank or any other Nationalized Bank.

अनुबंध –2

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं. 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

क्रम सं.

नामांकन फार्म

(उम्मीदवार द्वारा)

(पीएनबी विनियमन के विनियम 65(डी) देखें

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय, सेक्टर– 10, द्वारका

नई दिल्ली – 110075

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपके दिनांक 17.08.2018 की सूचना के संदर्भ में, मैं..... पंजाब नैशनल बैंक का/की शेयरधारक, दिनांक 14.08.2018 को 2/– रुपए प्रत्येक के .....इक्विटी शेयरों का/की धारक, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....श्री/श्रीमती.....निवासी.....को 18.09.2018 को होने वाली शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधान के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए एतद्द्वारा नामांकित करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो/डीपीआइडी–सीएलआईडी	
स्थान :	
दिनांक :	

टिप्पणियां

1 निगमित निकाय द्वारा नामांकन किए जाने की स्थिति में, नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों, जिसमें इसे पारित किया गया, की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए।

2 प्रत्याशी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मिलते हों।

3 यदि उपर्युक्त कालमों में से किसी को खाली छोड़ा गया या विवरण गलत पाया गया तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

Annexure –2

PUNJAB NATIONAL BANK

Head Office: Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi 110075

Sl.No.

NOMINATION FORM

(by the Shareholder)

(Refer Regulation 65(d) of the PNB Regulations)

To

The Managing Director & CEO,

PUNJAB NATIONAL BANK,

Head Office, Sector-10, Dwarka

New Delhi 110075

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 17.08.2018, I _____ a shareholder of Punjab National Bank, holding _____ equity shares of Rs. 2/- each on 14.08.2018 do hereby nominate Shri/Smt _____ son/daughter/wife of Shri _____ _____ residing at _____

for being elected as a Director of Punjab National Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders to be held on 18.09.2018.

Signature	
Name	
Number of Shares	
Regd. Folio/DPID-CLID	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या–4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075

यहां पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाऐ।

व्यक्तिगत सूचना घोषणा एवं वचनपत्र

(————————————————2018 की स्थिति अनुसार संलग्नकों सहित)

I		**उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण**	
	क	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) पिता का नाम (पूरा)	
	ख	जन्मतिथि	
	ग	शैक्षिक योग्यता	
	घ	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव	
	ड.	स्थायी पता	
	च	वर्तमान पता	
	छ	ई–मेल आईडी/टेलीफोन नम्बर (लैंडलाइन/मोबाइल)	
	ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या और आयकर सर्कल का नाम एवं पता	
	झ	सम्बध्द ज्ञान एवं अनुभव (बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3–ए)देखें	
	ण	बैंक के निदेशक–पद से संबंधित अन्य कोई जानकारी	
II		**उम्मीदवार के सम्बन्धियों का विवरण**	
	क	बैंक के साथ किसी भी रूप में सम्बद्ध रिश्तेदार, यदि कोई हों, का ब्यौरा (कम्पनी अधिनियम, 2013 की ध. ारा 2 (77) देखें)	
	ख	ऐसी संस्थाओं की सूची, यदि कोई है, जिनमें उसे हितबध्द समझा जाता है (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें)	

Annexure –3

PUNJAB NATIONAL BANK

Head Office: Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi 110075

Affix Passport size photo here

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

(With enclosures as appropriate as on _____,2018)

I.		**Personal details of the candidate**	
	A	Name in Full (in block capital letters) Fathers name (in full)	
	B	Date of Birth	
	C	Educational Qualifications	
	D	Relevant Background and experience	
	E	Permanent Address	
	F	Present Address	
	G	E-mail address/Telephone Number (Landline/ Mobile)	
	H	Permanent Account Number (under the Income Tax Act) and Name and address of Income Tax Circle	
	I	Relevant Knowledge & Experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970)	
	J	Any other information relevant to Directorship of the Bank.	
II.		**Relevant Relationships of the candidate**	
	A	List of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way (Refer Section 2 (77)of the Companies Act, 2013)	
	B	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013).	

	ग	ऐसी संस्थाओं की सूची, जिनमें प्रत्याशी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एन ई) के अर्थ के दायरे में महत्वपूर्ण हित धारित करने वाला समझा जाता है।	
	घ	बैंक का नाम जिसमें वह निदेशक मंडल का सदस्य है अथवा रहा है (उस अवधि का ब्यौरा दें जिस दौरान आप उस पद पर रहे)।	
	ड.	उसके द्वारा और/अथवा उपरोक्तानुसार – II (ख) एवं (ग) में दर्शायी गयी संस्थाओं द्वारा निधि एवं गैर–निधि सुविधाएं जिनका इस समय लाभ उठाया जा रहा है।	
	च	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उम्मीदवार अथवा उप. रोक्तानुसार – II (ख) एवं (ग) में दर्शायी गयी संस्थाओं द्वारा पंजाब नैशनल बैंक अथवा अन्य किसी बैंक से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हो या चूक. कर्ता रहा है।	
III		व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड	
	क	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV		उम्मीदवार के खिलाफ कार्यवाहियाँ, यदि कोई हों	
	क	यदि प्रत्याशी व्यावसायिक संस्था/निकाय का सदस्य है और उसके खिलाफ यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई लम्बित हो अथवा आरम्भ की गयी हो अथवा विगत में उसे दोषी ठहराया गया हो अथवा उसे किसी भी समय किसी व्यवसाय/कारोबार शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो, का विवरण दें।	
	ख	निदेशक और/अथवा उपर्युक्त II (ख) एवं (ग)2 में सूचीबध्द किसी इकाई के खिलाफ आर्थिक नियमों और विनियमों के लिए विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध हुए अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
	ग	प्रत्याशी के खिलाफ विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हों, के विवरण	
	घ	क्या प्रत्याशी को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है?	
	ड.	क्या प्रत्याशी अथवा उपर्युक्त II (ख) एवं (ग) में दी गई किसी इकाई की सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के निर्देश पर कोई जांच की गई है।	
	च	क्या प्रत्याशी को कभी/सीमा शुल्क/आबकारी/आयकर/विदेशी मुद्रा विनिमय/अन्य रेवेन्यू प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/कानूनी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है, यदि हां तो विवरण दें।	

	C	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed & existing.	
	D	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during such office was held)	
	E	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by him/her and/or by entities listed in II (B) and (C) above from the Bank.	
	F	Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (B) & (C) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other bank.	
III.		**Records of Professional Achievements**	
	A	Professional achievements relevant	
IV.		**Proceedings, if any, against the Candidate**	
	A	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	B	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (B) & (C), above for violation of economic laws and regulations.	
	C	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate.	
	D	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013.	
	E	Has the candidate or any of the entities at II (B) & (C) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	F	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/ excise/income tax/ foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	

	छ	क्या किसी नियामक संस्था जैसे कि सेबी, आईआरडीए, डीसीए इत्यादि द्वारा प्रत्याशी/निदेशक के खिलाफ कभी कुछ प्रतिकूल पाया गया है। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसे आदेशों एवं निष्कर्षों के कॉलम का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पलट दिया गया है/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, फिर भी उसके लिए यह बताना आवश्यक होगा, यदि निर्णय का पलटा जाना/समाप्त किया जाना अधिकार क्षेत्र की कमी परिसीमन आदि कारणों से हो तथा गुण–दोष के आधार पर न हो। यदि नियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगायी गयी हो तथा अपीलीय/न्यायालय संबंधी कार्रवाई विचाराधीन हो तो, उसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए)।	
V		मद संख्या I से III के संबंध में, कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना और अन्य कोई जानकारी जो, 'सक्षम एवं उपयुक्त' स्थिति का निर्णय लेने के लिए संगत हो।	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उक्त सूचना मेरे सर्वोतम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सही एवं पूर्ण है। उक्त दी गई सूचना में मेरी नियुक्ति के पश्चात होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मैं यथाशीघ्र बैंक को अवगत करवाने का वचन देता/देती हूँ।

बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली अपेक्षित प्रतिज्ञा पत्र को निष्पादित करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

VI- नामांकन समिति की टिप्पणियां

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर सदस्य का नाम	हस्ताक्षर सदस्य का नाम	हस्ताक्षर सदस्य का नाम	हस्ताक्षर सदस्य का नाम

	G	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V		Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'fit and proper'.	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank.

Place :

Date : Signature of the Candidate

VI. Remarks of the Nomination Committee :

Place
Date

Signature	Signature	Signature	Signature
Name of Member	Name of Member	Name of Member	Name of Member

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालयः प्लॉट संख्या. 4, सेक्टर– 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075

फार्म– ''बी''

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

रजिस्टर्ड फोलियो नं0 (मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी सं0 ग्राहक आईडी सं0 (यदि अमूर्त रुप में)	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम ————————————————————————————का/की/के निवासी ———————————————— पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतदृद्वारा ———————————————————————— के निवासी श्री/सुश्री———————— ———————————————————————— को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर ———————————— के निवासी श्री/श्रीमती ————————————————————————को **दिनांक 18.09.2018 को प्रातः 10.00 बजे बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में जो पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली– 110075** में आयोजित होगी तथा उसके अधिस्थगित होने पर मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी– नियुक्त– करता हूँ/करते हैं।

कृपया रसीदी
टिकट चिपकाएं

वर्ष 2018 के ——————मास की ——— तारीख को हस्ताक्षरित

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर ————————

Punjab National Bank

Head Office: Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110 075

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No (If Dematerialised)	
No. of Shares	

I/We, _____resident/s of _____

in the district of _____in the state of _____

being a shareholder/s of Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____in the district of _____ in the state of _____or failing him/her, Shri/Smt._____ _____ resident of _____ _____in the district of_____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **18.09.2018, at 10.00 a.m., at Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110075** and at any adjournment thereof.

Revenue Stamp

Signed this_____day of_____2018.

Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy _____

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी दस्तावेज़ तब तक वैध नहीं होगा जब तकः

   क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत् लिखित रुप में अधिकृत एटार्नी हस्ताक्षर करेगा।

   ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रुप से अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगें।

   ग. निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा सामान्य मोहर, यदि हो, तो लगाकर इन्हें हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रुप से विधिवत् अधिकृत एटार्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

   घ. फार्म बी में होंगे और विधिवत् रूप से स्टाम्प होंगे।

2. प्रॉक्सी दस्तावेज़ जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब उसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार बीमा द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो।

3. प्रॉक्सी फार्म के साथ नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उक्त मुख्तारनामे या प्राधिकार पत्र की हस्ताक्षरित प्रति को पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली– 110075 के पास वार्षिक आम बैठक की तिथि से 4 दिन पहले अधिकतम 13.09.2018 सायं 5.00 बजे तक जमा करवा दिया जाए।

4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।

5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी दस्तावेज अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा।

6. वैकल्पिक रुप में, दो गारंटरों के पक्ष में की गई एक दस्तावेज की प्रॉक्सी के मामले में, एक से ज्यादा फार्म को निष्पादित नहीं किया जाए।

7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का दस्तावेज़ निष्पादित किया हो वह बैठक में उस दस्तावेज़ से सम्बद्ध वोट देने का पात्र नहीं होगा।

8. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।

9. पंजाब नैशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्रॉक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
   b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
   c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
   d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
3. The proxy together with:
   a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Finance Division, Share Department, Punjab National Bank, Head Office: Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110 075 not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of 13.09.2018.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या–4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075
HEAD OFFICE: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075

वार्षिक आम बैठक, मंगलवार,18 सितम्बर,2018, प्रात 10.00 : बजे
ANNUAL GENERAL MEETING, TUESDAY, 18TH SEPTEMBER 2018 AT 10.00 A.M.

उपस्थिति पर्ची / **ATTENDANCE SLIP**
(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सुपुर्द करने हेतु)
(To be surrendered at the time of registration of attendance)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि) **NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)**	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं0 **REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.**	शेयरों की संख्या **Number of Shares**
		शेयरधारक/ प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर **Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या–4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075
HEAD OFFICE: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075

वार्षिक आम बैठक, मंगलवार,18 सितम्बर,2018, प्रात 10.00 : बजे
ANNUAL GENERAL MEETING, TUESDAY, 18TH SEPTEMBER 2018 AT 10.00 A.M

प्रवेश पास / **ENTRY PASS**
(बैठक के दौरान अपने पास रखना है)
(To be retained throughout the meeting)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि) **NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)**	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं0 **REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.**	शेयरों की संख्या **Number of Shares**
		शेयरधारक/ प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर **Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative**

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें । प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए ।

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.